न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मांगीलाल बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण वगैरह

किस्म मुकदमा--225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 392/2025 (अजमेर)

रि०/०१ 19/08/25

	श्री शहाबुद्दीन खान	
13.08.2025	मांगीलाल बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण वगैरह (2025/392) यह अपील श्री शहाबुद्दीन खान एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर मु0 अजमेर, द्वारा प्रकरण संख्या 90/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 19.08.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	
19.08.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि प्रार्थी/ अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष दिनांक 16.10.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया था, जिसे दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये तत्पश्चात दिनांक 19.11.2024 को प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनाम प्रस्तुत किया गया एवं जवाब हेतु निरंतर तारीख पेशीया नियत की गई। अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 09.07.2025 के विरूद्ध अपील पेश की है, जिसमें प्रकरण अप्रार्थी सरकार के जवाब इन्तजार में है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। **अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

अपील टी.ए.संख्या 392 / 2025 जिला अजमेर

2025/392

मांगीलाल पुत्र स्व0 खाजू, उम्र 53 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी कायड़ तहसील व जिला अजमेर।

--- अपीलांट

बनाम्

1. अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर जरिये सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर।
3. श्रीमान उप पंजीयक महोदय अजमेर।

--- रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर दिनांक 9.7.2025 जो प्रकरण संख्या 90/2024 बउनवानी मांगीलाल बनाम् अजमेर विकास प्राधिकरण वगैरह में पारित किया गया।

मानयवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है:-

(अ) यह कि अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी/अपीलांट द्वारा विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर के समक्ष एक वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी/दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की

मांगीलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

392/2025 13/8/25

Scanned with CamScanner